

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा (राजस्थान)

पौलिकाधीन अधिवक्ता - रेखा गुर्जर (आर ए एर)

मुकदमा नम्बर 54 / 2025 राजस्थान न्याय

01 मालीका देवी पतिन देवीलाल बलाई आयु वयस्क निवासी लोकरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

वादी

बनाम

- 01 इन्दा देवी पतिन श्रीलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 02 बान्दी पुत्री केशना जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 03 नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मण जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 04 नारायण पुत्र लक्ष्मण जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 05 सुरजी पुत्र रगतन लाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 06 रमेश पुत्र लक्ष्मण जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 07 रामा देवी पतिन लक्ष्मण जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 08 सरजू पुत्री कृपा जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 09 हजा पुत्री केशना जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 10 हेमी पतिन केशना जाति बलाई आयु वयस्क निवासी थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
- 11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहय, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात**

परिचित :-

श्री मुकेश सिंह तंवर
एकपक्षीय-
पेरोकार सरकार

- - अधिवक्ता वादी
- - प्र.सं. 01 लगायत 10
- - प्रति.सं. 11

दिनांक- 03 / 02 / 2026

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53.54 राज0 टिनेन्सी एक्ट तहत प्रस्तुत कर सरहद भीलो का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 10 के नाम गमलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने था खेत की हंकाई, चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर अधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये जिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 के बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध रस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को रोहराते हुए तहसीलदार करेडा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है।
अतएव:

आदेश

सरहद भीलो का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) के खाता संख्या-34 मे वर्णित आराजी नम्बर- 1003, 1004, 1005, 988 किता 04 व कबा-2.1751 हैक्टर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनु

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर

वादीया अपना वादपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 1 व 2 सिवि

